आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)GTSNY–340/20– 2132 पटना, दिनांक– 24.9.2020

प्रेषक,

संजय दूबे (भा०प्र०से०)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)– लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0119–ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, 5301–मूल निर्माण कार्य के अन्तर्गत राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के क्षेत्राधीन ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अंतर्गत मड़वन प्रखंड में "PMGSY Madho Chapra Road To Basantpur Malikan Tola" पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.300 कि०मी० है, के मूल निर्माण कार्य हेतु Rs. 19.950 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि Rs. 0.690 लाख अर्थात कुल राशि Rs. 20.640 लाख (बीस लाख चौंसठ हजार रूपये मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पथ निर्माण की कुल 1 (एक) योजना "PMGSY Madho Chapra Road To Basantpur Malikan Tola" के निर्माण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–13 में अंकित राशि की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तालिका

Sl. No.	District	Works Division	Block	GTSNY Sl. No.	Habitation Code	Name of Road	Length (km)	Revised AA Amount (In Lakh)				
								Const. Amt	5 Yrs. Maint. Amt	Total Amt	Cost of Land	Grand Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Muzaffarpur	Muzaffarpur West	Marwan	2123	17156	PMGSY Madho Chapra road to Basantpur Malikan tola	0.300	19.950	0.690	20.640	0.000	20.640
Total							0.300	19.950	0.690	20.640	0.000	20.640

2. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्राक्कलन में प्रावधानित सभी मद GTSNY के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं तथा निर्माण सामग्रियों की ढुलाई का प्रावधान निकटतम स्रोत से विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में है।

3. इस योजना को वर्ष 2020–21 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

24/9/2020

4. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम योजना की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

6. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

7. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

8. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

9. कार्यों का क्रियान्वयन GTSNY की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम–4–53/2007–3758/वि0 पटना दिनांक –31.05.2017 के कंडिका 5 में अंकित निदेशों का पूरी तरह पालन किया जाय।

11. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्ययता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. (क) बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

(ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम–4–53/2007–3758/वि0 पटना दिनांक –31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।

(ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नही।

(घ) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्व किया जाय।

13. कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्ट कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

14. इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा संचिका सं0–BRRDA(HQ)GTSNY–340/20 के पृष्ठ सं0–06/टि0 पर दिनांक–21.09.2020 को अनुमोदन प्राप्त है।

24/9/2020

15. इस योजना मद में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक–एम0 4–53/2007–3758/वि0 पटना, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–4 एवं 5 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका सं0–BRRDA(HQ)GTSNY–340/20 के पृष्ठ सं0– 08 / टि0 पर दिनांक 23-9-2020 को विभागीय सचिव महोदय के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–BRRDA(HQ)GTSNY–340/20 के पृष्ठ सं0– 10 /टि0 पर दिनांक 24-9-2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

24/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)GTSNY–340/20– 2132 /पटना, दिनांक– 24.9.2020

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)GTSNY–340/20– 2132 /पटना, दिनांक– 24.9.2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/उपविकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/9/2020

अपर सचिव